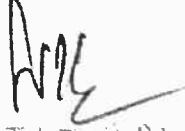
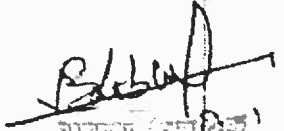


KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case Number : 04202505030001/2024-25

Shri/Smt. BAIRAB DATT UPADHAN....Vs Exeutive Engineer, Halduwari Town

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
	05/05/25	पत्रावली पेश हुई। अवलोकित। पंजीकृत। विपक्षी को नोटिस जारी हो। विपक्षी दिनांक 13.05.2025 तक अपना उत्तर पत्र मंच के समक्ष प्रस्तुत करे।    <u>आदेश</u> 13.05.2025 पत्रावली प्रस्तुत। विपक्षी द्वारा उत्तर पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उपरोक्त की शिकायत हेतु उपरोक्त के नाम को रजिस्ट्रार सुधार हेतु शिकायत पंजीकृत कर दी गई है। जो कि उपरोक्त के अग्रसर पिल में परीक्षा होगी शिकायत के निराकरण हेतु जाने के पश्चात वाद निवारित किया जाता है। पत्रावली का रजिस्ट्रार फाइल है।    राजस्थान (राजस्थान)	13/05/2025

वि० उ० नि० वि० अ०

**OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL
FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI**

Case No.- 0420250413001/2025-26

Shri/Smt- Yogeswr Raj Singh Vs Executive Engineer- Haldwani (Town)

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
	13/05/2025	<u>आदेश</u> पत्रावली प्रस्तुत। ऑन लाइन पोर्टल के माध्यम से बिलिंग संबंधी शिकायत (Case No.- 0420250 4 1 3 0001) फोरम कार्यालय को प्राप्त हुई। उक्त शिकायत पर विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांक 21.04.2025 को उत्तर पत्र मय संलग्नक फोरम में प्रस्तुत किया गया। अवलोकित। परिवादी द्वारा अपने शिकायती पत्र में कहा गया था कि "Every time same error found in my electricity bill they charge very high amount in my bill as my consumption is lower.how to manage. I complaining all the time at hydel department haldwani but no one help me kindly verify my billing amount." विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र में कहा गया है कि दिनांक 21.04.2025 को उपभोक्ता का संयोजन जो विभागीय है के बीजक रीडिंग (M.U.) के आधार पर निर्मित है एवं उपभोक्ता को नियमानुसार विभागीय सीलिंग (विद्युत उपभोग यूनिट) समायोजित है। वर्तमान में उपभोक्ता द्वारा अपने बिलों का भुगतान न किए जाने के कारण ₹ 11114.00 अवशेष है। साक्ष्य स्वरूप उपभोक्ता के लेजर एवं बिलिंग हिस्ट्री छायाप्रति भी प्रस्तुत की गयी है। परिवादी द्वारा दूरभाष के माध्यम से फोरम कार्यालय को अवगत कराया गया कि उसके द्वारा बिल जमा कर	

W2

NIL

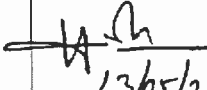
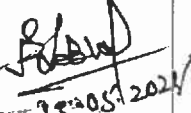
Subin

**OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL
FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI**

Case No.- 0420250413001/2025-26

Shri/Smt- Yogeswr Raj Singh Vs Executive Engineer- Haldwani (Town)

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
		दिया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों / अभिलेखों के अवलोकन व परिवादी से दूरभाष पर हुई वार्ता से स्पष्ट है कि परिवादी की समस्या का समाधान हो चुका है। परिवादी की शिकायत का समाधान हो जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफतर हो।  13/05/25 सदस्य (उपगोष्ठा) वि०उ० गि० नि० म० हल्द्वानी  सदस्य (उपगोष्ठा) वि०उ० गि० नि० म० हल्द्वानी  15-05-2025 सदस्य (न्यायिक) वि०उ० गि० नि० म० हल्द्वानी	

**OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL
FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI**

Case Number : 45/2025-26

Shri/Smt.....हरि रा सिंह.....Vs Exeutive Engineer.....नैनीताल

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
	30.04.25	पत्रावली प्रस्तुत । विपसी द्वारा उपभोक्ता की रणराव मापक दिनांक 27.04.2025 को बदल कर शिवालय को समाधान कर दिया गया है, तथा सीलिंग की क्षति पविलिपि प्रस्तुत की गई है। (विपसी द्वारा दिनांक 28.4.2025) अतः परिवारी की शिवालय सुरक्षित को समाधान हो जाने के पश्चात् पत्रावली निर्णय हेतु सुरक्षित	
	02.05.25	<u>आदेश</u> पत्रावली प्रस्तुत । अवलोकन किया गया परिवारी की शिवालय को समाधान विपसी द्वारा किया कर दिया गया है, अतः बाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दारिद्र्य दफ्तार है	

सबस्य (उपनिष्ठा)
विपसी (उपनिष्ठा)

सबस्य (उपनिष्ठा)
विपसी (उपनिष्ठा)

सबस्य (न्यायिक)
विपसी (न्यायिक)

**OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL
FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI**

Case No.- 55/2025-26

Shri/Smt. डि० पी० वी० सु Vs Exeutive Engineer. नेनीताल

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
	30.04 2025	- नई शिकायत प्राप्त हुई अवलोकित। पंजीकृत करें। विपक्षी को नोटिस जारी करें। विपक्षी किनाई दि० 05/05/25 तक अपना उत्तर पत्र मंच में प्रस्तुत करें। विपक्षी सूचित है। H-1	05/05 2025
	05/05/25	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी ने पीविगी के विद्युत बिल की प्रती प्रस्तुत की। पूर्व में बिल की शीट इन कार्यालय करी के whatsapp नंबर पर भी प्रेषित कर दी गयी थी। पीविगी की सूचना विपक्षी मीराटीडा द्वारा 29/04/25 तक पीर रीडिंग नहीं लिखे जाने की थी, जबकि पूर्व बिल 23/03/25 को बना था। विपक्षी ने 23/04/25 से 30/04/25 तक का बिल बनाकर मंच में प्रस्तुत किया। अति शीघ्रता का समाधान हो जाने पर वाह (नेनीताल) विपक्षी पत्रावली दाखिल हस्ताक्षर है।	नेनीताल

सदस्य (उपभोक्ता)
वि० उ० गि० वि० म० हल्द्वानी

सदस्य (उपभोक्ता)
वि० उ० गि० वि० म० हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक)
वि० उ० गि० वि० म० हल्द्वानी

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

उपस्थित

1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)

2-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या-46/2025,

पंजीकरण तिथि:- 08.04.2025

अनुराग तिवारी, 401,T2/Twri' पाइन,
ओक पेराडाइज श्यामखेत भवाली,
जिला-नैनीताल,

परिवादी

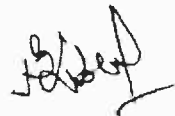
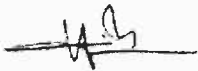
बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
नैनीताल।

विपक्षी

निर्णय

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायती पत्र में दिनांकित 08.04.2025 को कहा गया कि अनुराग तिवारी, 401,T2/Twri' पाइन ओक पेराडाइज श्यामखेत भवाली में 3 KW सोलर पैनल लगा है, बावजूद इसके मेरा बिल 8000 से अधिक आ रहा है। सोलर उत्पाद बिलिंग में कम दिख रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि कृपया जांच करके मुझे अवगत कराने का कष्ट करें।
2. विपक्षी द्वारा अपने पत्र में कहा गया कि उपभोक्ता की सोलर बिलिंग समस्या का समाधान करने हेतु MRI किया जाना है जिसमें समय लगभग संभव है MRI रिपोर्ट आने के उपरान्त ही आख्या प्रस्तुत की जाएगी।
3. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर में दिनांक 23.04.2025 को कहा गया की श्री अनुराग तिवारी, श्यामखेत(591NM45110323) के समाधान के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत है-
 1. उपभोक्ता श्री अनुराग तिवारी, श्यामखेत के विद्युत (संयोजन संख्या 591NM45110323) में दि० 21.10.2024 से 01.12.2024 तक इम्पोर्ट यूनिट 739 एवं एक्सपोर्ट यूनिट 73 के सापेक्ष नेट यूनिट 666 दर्ज की गयी है। दि० 01.12.2024 से 01.01.2025 तक इम्पोर्ट यूनिट 1305 एवं एक्सपोर्ट यूनिट 30 में नेट यूनिट



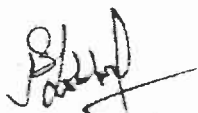
- 1275, दि० 01.01.2025 से 01.02.2025 तक इम्पोर्ट यूनिट 1349 एवं एक्सपोर्ट यूनिट 34 में नेट यूनिट 1315, दर्ज की गयी है।
2. इसके अतिरिक्त 01.02.2025 से 01.03.2025 तक इम्पोर्ट यूनिट 1121 एवं एक्सपोर्ट यूनिट 35 में नेट यूनिट 1086, दर्ज की गयी है, एवं 01.03.2025 से 01.04.2025 तक इम्पोर्ट यूनिट 943 एवं एक्सपोर्ट यूनिट 102 में नेट यूनिट 841, दर्ज की गयी है।
3. उपभोक्ता के मापक संख्या 5517582608 की एम0आर0आई0 रीडिंग के आधार पर उपभोक्ता के प्रतिमाह बिल बनाये गये हैं।
4. उपभोक्ता के सोलर मापक की जांच की गयी जांच में मापक सही पाया गया है। विद्युत उपभोग एवं विद्युत उत्पादन यूनिटों के आधार पर विद्युत बिल सही है।
5. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। MRI के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी को प्रेषित बिल सही हैं तथा उनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- 08 / 05 / 2025


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(बिष्णु प्रसाद डोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांक:- 08 / 05 / 2025


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(बिष्णु प्रसाद डोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

उपस्थित 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2-तिलक राज भाटिया, सदस्य(तकनीकी)
3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या-52/2025

सौरभ मेहता

परिवादी

गली नं०-03

नियर-राइज एण्ड साइन स्कूल

भगवानपुर जयसिंह

ब्लॉक-हल्द्वानी

जिला-नैनीताल।

बनाम

अधिशाली अभियन्ता

विपक्षी

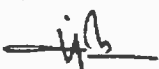
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हीरानगर, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि "In my electricity connection number 391E211970502, Rs 119 has been added as ASD installment in the April bill. I tried to get this information from the electricity subdivision officer Kamaluwaganja. He said that the average of your JAN, FEB and MARCH bill amounts should be calculated for the whole year and your security amount should be higher accordingly (because my first bill was given in the month of JAN). That is why this charge is being taken which will be taken for the whole 12 months. I did not find it logical at all because the maximum demand in these three bills is within my section load and not extra load. So this should not have happened. And if we talk according to them, I had already deposited my connection charge and security amount before 10 October. So they released my service so late (on 26 November) and my first bill was also not sent to me. I had to go to their office and get it made. So I request you to please solve this problem of mine because I am a person with a private job and I am not able to bear the mental and financial crisis because I have to take leave to visit their office due to which I am incurring financial loss, so please solve this problem as soon as possible."
2. परिवादी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 05.05.2025 में कहा गया है कि शिकायतकर्ता को नये संयोजन हेतु 8 अक्टूबर 2024 में वांछित शुल्क जमा किया गया था परन्तु उक्त संयोजन में network extention of distribution mains होना है। जो यू०ई०आर०सी० के तहत





 क्रमशः

60 दिनों में करना होता है। अतः शिकायतकर्ता को संयोजन नियमानुसार सही समय पर निर्गत किया गया है। उपभोक्ता के संयोजन की निर्गत तिथि 26 नवम्बर 2024 है। वर्ष 2024-25 में हुई बिलिंग निम्नवत है:-

जनवरी 2025 - रु 2983.00

फरवरी 2025 - रु 1365.00

मार्च 2025 - रु 559.00

कुल - रु 4907.00

अतः ASD की गणना निम्नानुसार की जाती है:-

$4907 \times 2 / 4 \text{ month} = 2454 - 1800$

ASD = RS 654

उपभोक्ता का बिल के अनुसार ₹1472.00 ASD गणना की गयी थी। उपरोक्त घनराशि को उपभोक्ता के आवेदन पर 26 नवम्बर 2024 से 24 मार्च 2025 (4 माह) में औसत बिल आधार पर विभाजित करते हुए संशोधित ASD ₹ 654.00 कर दी गयी है (कागज संख्या-3/1 से 3/4)।

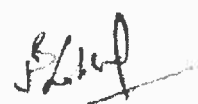
3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/आपत्ति पत्र दिनांकित 05.05.2025 में कहा गया है कि "I received your reply through email, in which the department has stated that there was delay due to Network extention of distribution mains, I don't understand its meaning properly but if it means that there was no line near my house and a new line was laid by the department, then it was not so. there was a pole on the other side of the road right in front of my house which was in damaged condition, so I had given a letter to replace it, which I am attaching below, so I don't think that it will have any bearing on my service release because replacing damaged poles is the department's job and no such information was given by the department in this regard earlier. When my bill does not arrive till 26 November, I myself go to their office to get the bill generated because the bill is not generated through the meter reader, so they said that you will have to get the first bill made by going to the department only, so when I went there. they told me that your service has not been released yet, you should meet JE sahab, so when I went to him and told him about this, then he released the service at that time, if I had not gone. then it might not have happened even on that day. That is why I request that cognizance should be taken on this so that the common man does not have to bear the consequences of all this negligence of the department. As you have asked me to appear on 13/05/2025. I am a private employee and am currently in Delhi and my leave got over due to visiting the department regarding this problem, so I request you that I am unable to come physically on 13/05/2025, but if you say so, I will be present virtually."

4. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 13.05.2025 की तिथि नियत की गयी थी। सुनवाई हेतु विभागीय प्रतिनिधि भौतिक रूप से उपस्थित हुये, परिवादी को दूरभाष के माध्यम से सुना गया।

सुनवाई के दौरान परिवादी द्वारा कहा गया कि उसने 8 अक्टूबर 2024 को शुल्क जमा किया था परन्तु संयोजन 26.11.2024 को जारी हुआ उसके अनुसार ASD ₹ 1472.00 लगाई गई जा गलत है संयोजन देरी पर विभाग की गलती है। अतः ASD संशोधित की







क्रमशः

जाए। सहायक अभियंता (राजस्व) ने सहमति जताते हुए कहा कि ASD की गणना 23 अक्टूबर से 24 मार्च संशोधित कर दी जाएगी।

5. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया परिवादी द्वारा संयोजन हेतु कुल ₹ 2800.00 की धनराशि जमा कर दी गई जिसमें ₹ 1800.00 जमानत राशि है हजार रुपए सर्विस लाइन चार्ज के रूप में जमा किए गए हैं। अतः विपक्षी का यह कथन की "उक्त संयोजन में network extention of distribution mains होना है। जो यू०ई०आर०सी० के तहत 60 दिनों में करना होता है" को मंच स्वीकार नहीं कर सकता। विपक्षी ने पूर्व से स्थापित क्षतिग्रस्त पोल को बदलकर यह साबित करने का प्रयास किया गया है कि परिवादी के संयोजन हेतु network extention of distribution mains हुआ है। उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि संयोजन अवमुक्त करने में हुई देरी का परिवादी के आवेदन से कोई लेना नहीं है। अतः परिवादी की ASD की गणना संयोजन हेतु जमा धनराशि के 15 दिन बाद अर्थात् दिनांक 23 अक्टूबर 2024 से 24 मार्च 2024 तक की जानी न्यायोचित होगी।

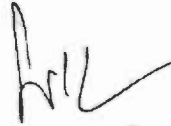
आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी की ASD की गणना 23 अक्टूबर 2024 से 24 मार्च 2024 की अवधि के अनुसार बीजक संशोधित करें। विपक्षी 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करें। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून-248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- 13/05/2025



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



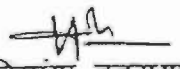
(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)



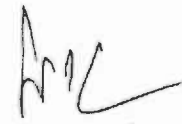
(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:- 13/05/2025



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)



(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

उपस्थित

- 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
- 2-तिलक राज भाटिया, सदस्य (तकनीकी)
- 3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या- 50 / 2025,

पंजीकरण तिथि:- 09.04.2025

कुन्दन नेगी,

ग्राम-गेठिया, तल्लीताल

जिला-नैनीताल

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड

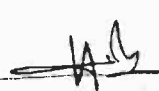
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

नैनीताल।

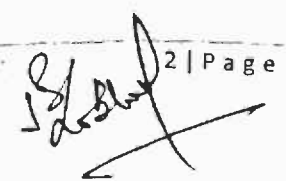
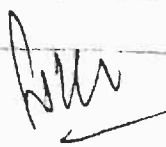
विपक्षी

निर्णय

1. शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायती पत्र दिनांकित 09.04.2025 नैनीताल (शिविर)में कहा गया कि प्रार्थी के संयोजन सं० 591PCC1076970 का विद्युत बिल माह 01/2023 से माह 02/2024 तक RDF में प्रेषित किये गये जो कि पूर्ण रूप से गलत थे। महोदय मेरे द्वारा उक्त के क्रम में कई बार विद्युत विभाग के कार्यालय में गया किन्तु आज तक प्रार्थी को उक्त अवधि का समायोजन नहीं मिला। अतः कृपया कर प्रार्थी को उक्त अवधि का समायोजन बिल में दिलाने का कष्ट करें। प्रार्थी आपका सदैव आभारी रहेगा।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच कुमायू क्षेत्र हल्द्वानी द्वारा दि० 09.04.2025 को नैनीताल, में लगाये गये कैम्प में प्राप्त शिकायत संख्या 50/2025 श्री कुन्दन नेगी, गेठीया, नैनीताल (591PCC1076970) के समाधान के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत है—
 1. उपभोक्ता श्री कुन्दन नेगी, गेठीया, नैनीताल के विद्युत (संयोजन संख्या 591PCC1076970) में दि० 20.01.2023 से 13.02.2024 तक के बिल आर०डी०एफ० में बने हैं।

2. उपभोक्ता का मापक दि० 17.01.2024 को बदला गया है। मापक में अन्तिम रीडिंग 5754 अंकित की गयी।
3. उपभोक्ता को दि० 13.01.2024 से 13.02.2024 तक का बिल मापक की रीडिंग 17 के आधार पर एम०यू० में संशोधन किया गया। जिस पर रु० 19542.00 का बिल बना है।
4. उपभोक्ता के मापक में दि० 18.09.2022 को रीडिंग 1410 एवं दि० 29.11.2022 को रीडिंग 5754 थी।
5. उपभोक्ता को दि० 29.11.2022 से 13.01.2024 तक के बिल सिस्टम द्वारा स्वतः ही आर०डी०एफ० में बने हैं।
6. उपखण्ड अधिकारी की आख्या अनुसार उपभोक्ता का बिल सही है।
3. उपरोक्त विभाग के पत्र की प्रतिलिपि मंच द्वारा शिकायतकर्ता को भेजी गई, शिकायतकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 30.04.2025 द्वारा पुनः कहा गया कि उसका बिल पूर्ण रूप से गलत है शिकायतकर्ता के अनुसार मीटर रीडर द्वारा दिनांक 20.01.2023 को प्रेषित बिल में पिछली रीडिंग 1410 से सीधे 5794 का बिल प्रेषित किया गया है जो कि आर०डी०एफ० में था तत्पश्चात मेरे द्वारा मीटर रीडर से सत्यापित की हुई वर्तमान की रीडिंग 1450 की गई थी। उसके बाद भी बिल को समायोजित नहीं किया गया व मुझे आर०डी०एफ० के बिल ही प्रेषित किए गए तत्पश्चात दिनांक 17.01.2024 को मेरा विद्युत मापक खराब होने के कारण विभाग द्वारा बदला गया।
4. मंच द्वारा उपरोक्त का अवलोकन करने के बाद सुनवाई हेतु 13.05.2025 की तिथि नियत की गई जिसे विभाग के अनुरोध पर 15.05.2025 एवं बाद में शिकायतकर्ता के अनुरोध पर 27.05.2025 के लिए निश्चित किया गया।
5. दिनांक 27.05.2025 को दोनों पक्ष भौतिक रूप से मंच के समक्ष उपस्थित हुए एवं अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तर्क सुनने एवं परिशीलन करने पर पाया गया कि दिनांक 18.09.2022 को रीडिंग 1410 थी जो 29.11.2022 में बढ़कर सीधे 5754 हो गयी। अर्थात् एक बिल चक्र में एक कि०वा० के संयोजन पर 4344 की खपत दर्ज की गई है जो कि सही प्रतीत नहीं हो रही। परिवादी के मापक बदलने से पूर्व की खपत एवं मीटर बदले जाने के बाद की खपत हमेशा बहुत ही कम रही हैं एवं लगभग बराबर है। दिनांक 29.11.2022 को आर०डी०एफ० का बिल बनाया गया तथा रीडिंग 5754 थी। दिनांक 13.01.2024 तक आर०डी०एफ० के ही बीजक बने तथा 17.01.2024 को मीटर बदल दिया गया। मीटर बदलने के समय भी रीडिंग 5754 दिखाई गयी है। इससे यह साबित होता है कि दिनांक 18.09.2022 एवं 29.11.2022 की अवधि के बीच ही मीटर खराब हुआ है तथा रीडिंग 1410 से बढ़कर 5754 हो गई है तथा इसी रीडिंग पर आई०डी०एफ० हो गया।

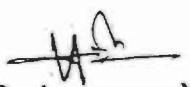


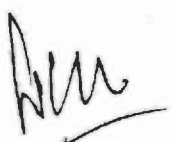
6. उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत मंच का मत है कि पारिवादी का बीजक दिनांक 18.09.2022 से 17.01.2024 के लिए पूर्व के तीन बिल चक्रों के औसत $(54+65+68)/6 = 31$ यूनिट प्रतिमाह के आधार पर तथा दिनांक 17.01.2024 से वर्तमान तक वास्तविक खपत के आधार पर संशोधित किया जाना न्यायोचित होगा। इस संशोधित बिल में कोई विलंब शुल्क देय नहीं होगा एवं इस पूर्ण अवधि के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा जमा की गई बिल राशि संशोधित बिल में सामायोजित कर दी जायेगी।
7. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि पारिवादी का बीजक दिनांक 18.09.2022 से 17.01.2024 तक 31 यूनिट प्रतिमाह के आधार पर तथा दिनांक 17.01.2024 से वास्तविक खपत के आधार पर संशोधित किया जाना न्यायोचित होगा। इस प्रकार संशोधित बिल में कोई विलंब शुल्क देय नहीं होगा एवं इस पूर्ण अवधि के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा जमा की गई बिल राशि संशोधित बिल में सामायोजित कर दी जायेगी। विपक्षी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करें। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- 27/05/2025

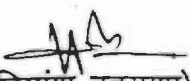

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)


(बिष्णु प्रसाद डोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:- 27/05/2025


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

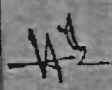
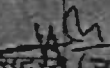

(बिष्णु प्रसाद डोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

**OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL
FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI**

Case No.- 66 /2025-26

Shri/Smt. इमवाल इमैन Vs Executive Engineer रामगल

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
	16/05/2025	आज यह परिवाद विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हल्द्वानी द्वारा आयोजित शिविर <u>दिनांक</u> में प्राप्त हुआ है। विपक्षी/विभाग, शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में दिनांक <u>26</u> / <u>05</u> /2025 तक अपना उत्तर पत्र मध्य कन्ज्यूमर विलिंग हिस्ट्री मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।  <u>उमेश</u>	26/05/25
	26-05-2025	पतावली प्रस्तुत। विपक्षी द्वारा उत्तर प्रस्तुत किया गया। उपभोक्ता कारखाने को अपील कर दिया गया है, अतः शिकायत को सामाधान से जाने के पश्चात वाद निस्तारित किया जाता है, पतावली शामिल दफ्तर है।  सदस्य (उपभोक्ता) वि० उ० शि० नि० म० हल्द्वानी  सदस्य (विभाग) वि० उ० शि० नि० म० हल्द्वानी	

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंत्रालय
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

- उपरिधत 1-विद्युत प्रसाद होमाल, सदस्य(न्यायिक)
 2-तिलक राज मारिया, सदस्य(तकनीकी)
 3-हिमांशु बहगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या-58/2025

पंजीकरण तिथि-02.05.2025

परिवादी

मीना मर्द
 बी-42, कार्तिकेय कालोनी
 फ्ल-2, कुसुमखर्डा
 हल्द्वानी
 जिला-नैनीताल

बनाम

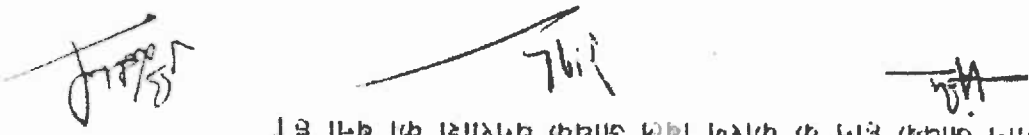
विपक्षी

अधिकांसी अभियन्ता
 विद्युत निगरण खण्ड(ग्रामीण)
 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
 हरिद्वार, हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि उसके मूल दिनांक 24 फरवरी 2025 के क्रम में विभाग द्वारा बैंक मीटर दिनांक 25 फरवरी को 2025को उसके आवास में लगाया गया। उसे यह बताया गया कि 10 मार्च 2025 को बैंक मीटर के आधार पर बिजली के बिलों का मूल्यांकन किया जा सकेगा यदि यह पता चला है कि रेगुलर मीटर मापकों से अधिक बिजली की खपत कर रहा है। महोदय, श्री विरवास (मोबाइल 8360900002) जो बैंक मीटर लगा कर गए थे, से बार बार संपर्क करने पर भी उनके द्वारा न तो मोबाइल उठाया जा रहा और न ही स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को बैंक मीटर के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए भेजा गया। कुछ कर्मियों के ऐसे कृत्य से अनावश्यक ही विभाग की एवं अच्छे अधिकारियों एवं कर्मियों की छवि भी खराब होती है। आपसे अनुरोध है कि कृपया बैंक मीटर के आधार पर बिजली बिलों का पुनर्मूल्यांकन करने के निर्देश दें और बैंक मीटर भी हटाने का निर्देश देने की कृपा करें।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता का विद्युत संयोजन-5 बिजलीबिल का है। उपभोक्ता की शिकायत के आधार पर ही बैंक मीटर लगाया गया। बैंक मीटर की रिपोर्ट के अनुसार पुराना लगा मापक खराब पाया गया है। उपभोक्ता का विद्युत उपभोग अधिक होने का कारण बिल अधिक धनराशि का बिल है।

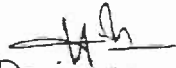


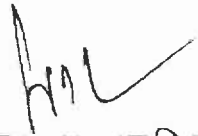
3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 13.05.2025 में कहा गया है कि "उपरोक्त संदर्भ के संबंध में स्पष्ट करना है कि विभाग द्वारा चैंक मीटर अब हटा लिया गया है और सूचित किया गया है कि मूल मीटर ठीक है और इसके द्वारा दिखाई गई विद्युत ऊर्जा मानकों के अनुरूप है। विभाग के स्टेटमेंट से मैं संतुष्ट हूं। वरिष्ठ नागरिक होने के कारण मैं स्वयं कार्यालय आने में समर्थ नहीं हूं। अगर आवश्यकता है तो किसी अधिकृत कर्मी/अधिकारी को आवास भेजने अथवा विभागीय गाड़ी भेजने का कष्ट करें।"
4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने तथा परिवादी द्वारा विपक्षी की कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- 17/05/2025

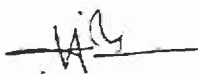

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

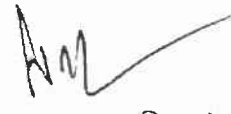

(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:- 17/05/2025


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)


(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

उपस्थित 1-बिष्णु प्रसाद डोमाल, सदस्य(न्यायिक)
2-तिलक राज भाटिया, सदस्य(तकनीकी)
3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या-59/2025

पंजीकरण तिथि-03.05.2025

नन्दन सिंह
मकान नं०-542
शांतिकुज रोड नं०-06
पीरूमद्वारा, रामनगर
जिला-नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
रामनगर।

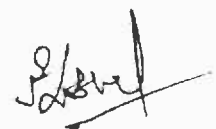
विपक्षी

निर्णय

- परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि " This is to inform that I am trying very sincerely for around last two months with your department to convert /enhance load of my residential/domestic connection from 2.0.KW to 3.0 KW, But despite repetitive attempt I am unable to understand why the request is being turned down / rejected despite submitting all mandatory documents e.g. AADHAR, ELECTRICITY BILL. LAND RECORD, KHATUNI etc. My service request with reference number 1122032501712 & 11004250253 though have been rejected but without informing any reason despite talking to concerned JE through your customer care. I have lodged a service request number 110205250328 dated 01-05-2025 again with hope that this time it will be approved and the load will be enhanced to as requested. This is also to inform that I am requesting for load enhancement since i am going for solar plant installation and therefore it is mandatory requirement. Therefore, you are requested to kindly look into the matter and advise the officials concerned for an early approval."
- दिनांक 13.05.2025 को मंच में सुनवाई तिथि नियत थी। विपक्षी अनुपस्थित, परिवादी को दूरभाष पर सुना गया। परिवादी द्वारा कहा गया की वह 3 किलोवाट सोलर रूफ टॉप लगवाना चाहता है जिसके लिए उनके वेंडर ने लोड बढ़ाने के लिए कहा है। यदि 2





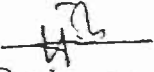


किलोवाट स्वीकृत भार पर 3 किलोवाट सोलर रूफ टॉप स्थापित हो जाता है तो लोड बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। परिवादी को सुना गया। परिवादी जिस प्रयोजन के लिए लोड बढ़ाने का आवेदन किया है उसके लिए लोड बढ़ाना आवश्यक नहीं है क्योंकि उसकी अधिकतम मांग भी 2 किलोवाट ही है। अतः इस प्रकरण पर मंच कोई आदेश पारित नहीं कर सकता तथा वाद खारिज होने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

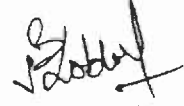
दिनांक:- 13/05/2025



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



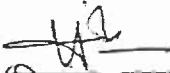
(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)



(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

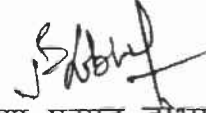
दिनांक:- 13/05/2025



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)



(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी
जिला-नैनीताल

उपस्थित 1-बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2-तिलक राज भाटिया, सदस्य(तकनीकी)
3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या-61/2025

पंजीकरण तिथि-07.05.2025

सत्येन्द्र बडोनी
ग्राम-तल्ला निगलाट कैंची
डाकघर-कैंची
जिला-नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
नैनीताल।

विपक्षी

निर्णय

- परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि मैं सतेंद्र बडोनी, ग्राम तल्ला निगलाट कैंची का निवासी हूँ तथा मेरा विद्युत उपभोक्ता खाता संख्या-42400338420 है। मुझे माह 08.03.2025 से 09.04.2025 के लिए विद्युत बिल संख्या-384622504090000104 प्राप्त हुआ है, जिसकी राशि ₹ 26,832.00 है। यह राशि अत्यधिक है तथा मेरी सामान्य मासिक खपत की तुलना में असंगत रूप से अधिक है। उक्त अवधि के दौरान मेरे परिसर पर विद्युत उपयोग अत्यन्त सीमित रहा है। इससे पूर्व के महीनों के बिल निम्न प्रकार से रहे हैं-

मार्च 2025:	₹3,620.00
फरवरी 2025:	₹5,839.00
जनवरी 2025:	₹1,592.00
दिसंबर 2024:	₹5,400.00

उक्त सभी बिल समय पर जमा कर दिए गए हैं और उनकी राशि भी औसत उपयोग के अनुरूप रही है। किन्तु अप्रैल माह का बिल असामान्य रूप से अधिक होने के कारण मुझे आशंका है कि या तो मीटर में तकनीकी त्रुटि है अथवा रीडिंग में कोई त्रुटि हुई है। अतः आपस विनम्र अनुरोध है कि कृपया उक्त बिल की यथाशीघ्र जाँच करवाई जाए एवं आवश्यकता हान पर मर परिसर पर मीटर की भौतिक जाँच भी की जाए, ताकि वास्तविक स्थिति का







पता चल सके और मुझे अनुचित आर्थिक भार से राहत मिल सके। आपसे शीघ्र एवं सकारात्मक कार्यवाही की अपेक्षा करता हूँ।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता के (संयोजन संख्या-5909999611865) विद्युत बिल में वर्तमान मापक से प्राप्त रीडिंग के अनुसार संशोधित कर दिया गया है। संशोधन के उपरान्त उपभोक्ता का विद्युत बिल ₹ 3549.00 बना है। उक्त विषयक किये गये संशोधन से उपभोक्ता को भी अवगत करा दिया गया है।
3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 14.05.2025 में कहा गया है कि "मेरी पूर्व में दायर वाद संख्या 61/2025 (उपभोक्ता खाता संख्या-42400338420) के संदर्भ में आपके मंच द्वारा की गई त्वरित एवं निष्पक्ष कार्यवाही हेतु मैं हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। आपकी कृपा से मेरे विद्युत बिल की जाँच कर वास्तविक खपत के अनुसार संशोधित बिल ₹3,549.00 जारी किया गया, जिसे मैंने जमा कर दिया है। इस प्रक्रिया में माननीय मंच द्वारा प्रदर्शित संवेदनशीलता, निष्पक्षता एवं उपभोक्ता हित में उठाए गए कदमों के लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ। आपके इस उत्तरदायित्वपूर्ण प्रयास से उपभोक्ताओं का संस्थान पर विश्वास और अधिक दृढ़ हुआ है। एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद।"
4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने तथा परिवादी द्वारा विपक्षी की कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

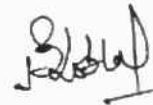
दिनांक:- 19/05/2025



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



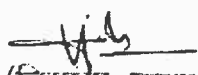
(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)



(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

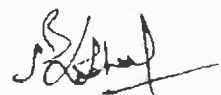
दिनांक:- 19/05/2025



(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)



(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)



(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

हल्द्वानी

जिला-नैनीताल

उपस्थित 1-बिष्णु प्रसाद डोमाल, सदस्य(न्यायिक)
2-तिलक राज भाटिया, सदस्य(तकनीकी)
3-हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या-62 / 2025

पंजीकरण तिथि-07.05.2025

मो० नाजिर
पुत्र सगीर अहमद
चैनल गेट मं०नं०-674
इन्द्रा नगर, हल्द्वानी
जिला-नैनीताल।

परिवादी

बनाम

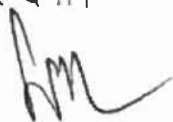
अधिशाली अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(नगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
तिकोनिया, हल्द्वानी।

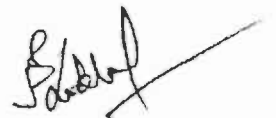
विपक्षी

निर्णय

- परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि मैं UPCL का स्थाई उपभोक्ता हूं। मेरा कनेक्शन संख्या-381TNA9122616 है तथा मीटर संख्या-375122 है किंतु उक्त मापक यंत्र में पूर्व में जो रीडिंग के आधार पर बिल आया वह लगभग ₹ 45000.00 के करीब आया है जो कि मेरे घर के लोड से कई गुना अधिक आया है। उक्त बिल की शिकायत मेरे द्वारा UPCL के सभी कार्यालय में की गई परंतु किसी भी कार्यालय से मेरी शिकायत का समाधान नहीं हुआ। तत्पश्चात मुझे सुझाव दिया गया कि आप चैक मीटर के लिए आवेदन करें, मेरे द्वारा परीक्षण खंड में आवेदन किया गया तो उक्त कार्यालय से चैक मीटर लगाया गया। मीटर संख्या-42627607 था। जब उक्त मीटर के द्वारा रीडिंग का माप किया गया तो दोनों मीटर में काफी ज्यादा अंतर पाया गया तथा परीक्षण खंड की रिपोर्ट में भी लिखा गया है कि दोनों मीटर में काफी अंतर है। अतः महोदय से विनम्र अनुरोध है कि मेरी शिकायत का समाधान निवारण मंच के माध्यम से कराने की कृपा करें तथा उक्त मंच के माध्यम से न्याय दिलाने की कृपा करें। साथ ही यह भी निवेदन है कि विद्युत विभाग द्वारा मेरा विद्युत संयोजन काट दिया गया है उसे भी जुड़वाने की कृपा करें। उसे जो भी बिल संशोधन के उपरान्त प्राप्त होगा वह उसे जमा कर देगा।







2. विपक्षी विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर में कहा गया है कि उपभोक्ता की शिकायत के संबंध में संबंधित क्षेत्र के उपखंड अधिकारी को पत्रांक-1909 दिनांक 08.08.2023 प्रेषित किया गया, जिसके द्वारा मामले की जांच कर अवगत कराया गया कि उपभोक्ता के परिसर पर चैक मापक 22.08.2024 को स्थापित किया गया जिसके प्रतिदिन दिनांक 22.08.2024 को की गई। स्थापित चैक मापक के मूल मापक के पात्रांक में अधिक अंतर आने के कारण मूल मापक को 110F मानते हुए अवधि 01/2024, 02/2024 एवं 03/2024 के दौरान जो कि 403 यूनिट प्रतिमाह है। जो कि उपभोक्ता के पूर्व माहों के उपभोग बिलों के समतुल्य है तथापि उपभोक्ता को माह 02/2023 ₹ (-) 844.00 समायोजन किया गया है। इस संबंध में यह भी अवगत करना है कि उपभोक्ता द्वारा अपने पूर्व के बिलों का भुगतान नहीं किंगे जाने के कारण ₹ 45087.50 का अवशेष था। गाननीय मंच के आदेश के अनुसार उपभोक्ता द्वारा दिनांक 09.05.2025 को ₹ 23000.00 जमा किए जाने के उपरांत वर्तमान में ₹ 22017.00 की धनराशि जमा करने हेतु अवशेष है।

3. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 15.05.2025 की तिथि निगल की गई थी। सुनवाई हेतु पक्षद्वारा भौतिक रूप से उपस्थित हुए, पक्षकारों के तर्क सुने गए।

सुनवाई में विपक्षी द्वारा परिवादी की कंजूमर हिस्ट्री के साथ आख्या प्रस्तुत की गई। सुनवाई के दौरान परिवादी द्वारा कहा गया कि उसे चैक मापक का लाभ नहीं मिला तथा चैक मापक में आए अंतर के अनुसार लाभ दिलाया जाए।

मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों का समग्र रूप से परिशीलन किया गया। मंच ने परिवादी के परिसर पर स्थापित चैक मापक सीलिंग प्रमाण पत्र तथा परिवादी की बिल हिस्ट्री का गहनता से अवलोकन करने पर पाया कि उसके परिसर पर दिनांक 16.04.2024 को चैक मापक स्थापित किया गया जिसे दिनांक 22.08.2024 को फाइनल किया गया। उक्त अवधि में परिवादी के मीटर में 1082 यूनिट (13531 - 12269) तथा चैक मापक में 407 यूनिट की स्वतः दर्ज की गई। अर्थात् परिवादी का मीटर 165.84 फीसदी तेज चल रहा था। विपक्षी ने चैक मापक अंतर का समायोजन देने के बजाय उसे 110F मानकर बिल की गणना की है जिसे यह मंच स्वीकार करता है। मंच के मत में गाननीय उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के विद्युत आपूर्ति सहिता विनियम के अनुसार परिवादी को उचित समायोजन प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा। कंजूमर हिस्ट्री से स्पष्ट है कि दिनांक 18.04.2024 से दिनांक 18.04.2025 तक चैक मापक ने (जो अब गुरु मापक है) 769 यूनिट की स्वतः की है। अतः इस अवधि की गणना वास्तविक स्वतः पर किया जाना तथा दिनांक 18.04.2024 से पूर्व के बीजकों में दिनांक 18.09.2023 से दिनांक 18.04.2024 तक चैक मापक रिपोर्ट के आधार पर परिवादी के तेज चलते मीटर की यूनिटों को समायोजित करते हुए बीजक की गणना किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित है। मंच का दिनांक 07.05.2025 का अंतरिम आदेश विपक्षी के बिल समायोजन के 7 दिन बाद तक प्रभावी रहेगा। तत्पश्चात् भुगतान नहीं होने की स्थिति में विपक्षी नियमानुसार कार्रवाई को स्वतः करेगा।

42

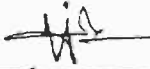
ML

18/05/25

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी का बीजक दिनांक 16.04.2024 से 18.04.2025 तक कुल खपत 769 यूनिट एवं दिनांक 18.09.2023 से 16.04.2024 तक की खपत को चैक मापक रिपोर्ट के आधार पर संशोधित करते हुए उचित समायोजन प्रदान करें। उक्त अवधि में परिवादी द्वारा जमा कराई गई धनराशि का भी समायोजन किया जाए। उक्त अवधि की संशोधित धनराशि पर कोई विलम्ब भुगतान अधिभार देय नहीं होगा हालांकि उपरोक्त अवधि से पूर्व की बकाया राशि पर LPS लिया जाएगा। परिवादी संशोधित बीजक प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर भुगतान करना सुनिश्चित करें। विपक्षी इस आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करें। परिवाद तदनुसार निस्तारित। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून-248006, के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक:- 19/05/2025

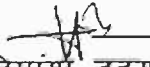

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

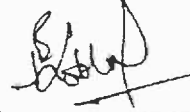

(विष्णु प्रसाद डोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक:- 19/05/2025


(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)


(तिलक राज भाटिया)
सदस्य (तकनीकी)

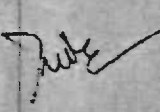
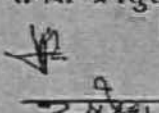
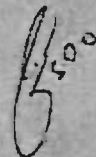

(विष्णु प्रसाद डोमाल)
सदस्य (न्यायिक)

**OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL
FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI**

Case No.- 64 /2025-26

Shri/Smt. श्रीराम कृष्ण द्विवेदी Vs Exeutive Engineer राजेश्वर

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
	14/05/2025	आज यह परिवार विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच हल्द्वानी द्वारा आयोजित शिविर <u>हल्द्वानी</u> में प्राप्त हुआ है। विपक्षी/विभाग, शिकातकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में दिनांक <u>26/05/2025</u> तक अपना उत्तर पत्र मख-कन्ज्यूमर विलिंग हिस्ट्री मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।  <u>उमेश</u>	26/05/2025
	26/05/25	पतावली प्रस्तुत। विपक्षी द्वारा उत्तर पत्र प्रस्तुत किया गया। उपभोक्ता को रक्षात्मक मापदंड देकर दिया गया है। इस प्रकार शिकायती की शिकायत का समाधान हो गया है। अतः वाद निस्तारित किया जाता है। पतावली दायित्व हस्त हो  सदस्य (उपभोक्ता) सदस्य (तकनीकी विभाग) दि० २०/०५/२०२५ दिनांक २०/०५/२०२५ दिनांक २०/०५/२०२५	

**OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL
FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI**

Case No.- 68 /2025-26

Shri/Smt. श्रीनेन्द्र कुमार हिमाल Vs Executive Engineer गौतम

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
	14/05/2025	आज यह परिवार विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच हल्द्वानी द्वारा आयोजित शिविर <u>दिनांक</u> में प्राप्त हुआ है। विपक्षी/विभाग, शिकातकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में दिनांक <u>26</u> / <u>05</u> /2025 तक अपना उत्तर पत्र मय कन्ज्यूम्स बिलिंग हिस्ट्री मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। <u>आदेश</u>	26/05/25
<u>श्रीनेन्द्र</u>	26-05-2025	<u>पत्रावली मस्तुल विपक्षी द्वारा उत्तर पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें लोवोल्टेज की समस्या के समाधान हेतु मांगी तैयार दिया व कार्य की स्वीकृति दी है। सग 100 के.वी.रज. की परिकल्पना स्थापित करने की बात कही गयी है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिकल्पना का कार्य प्रायमिकता के आधार पर पूरा करते हुये 60 दिन के भीतर अनुपालन अपनी मंच में प्रस्तुत करें परिवार तदनुसार निश्चित प्रकार से</u>	

पत्रावली द्वारा उपलब्ध है।
सदस्य (उपभोक्ता) वि०स०/०५/२०२५
वि०स०/०५/२०२५ हल्द्वानी

**OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL
FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI**

Case No.- 67 /2025-26

Shri/Smt. हनुमान ईश्वरी Vs Exeutive Engineer रामगोपाल

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
	16/05/2025	आज यह परिवार विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हल्द्वानी द्वारा आयोजित शिविर <u>दिनपुरी</u> में प्राप्त हुआ है। विपक्षी/विभाग, शिकातकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में दिनांक <u>26</u> / <u>05</u> /2025 तक अपना उत्तर पत्र मय कम्प्यूटर बिलिंग हिस्ट्री मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।  <u>आ. ई. ई.</u>	26/05/25
	26/05/25	पञ्चावली प्रस्तुत। विपक्षी ने आव्या प्रस्तुत की। आव्या के अनुसार लो वोल्टेज की समस्या के समाधान हेतु स्थानीय कुश्वा मंड में प्रकलन तैयार किया गया है, कार्य की स्वीकृति प्राप्त होने ही 01 नंग 63 केपीएफ का परीवर्तन स्थापित किया जाएगा। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवर्तन स्थापना का कार्य स्थापितता के तत्क्षण पूर्ण करते हुए 60 दिन के भीतर (अनुपलब्ध आव्या मंच में) प्रस्तुत करें। परेवत तापुल्ल विनिर्दिष्ट पक्षों पर सुनिश्चित, पञ्चावली दायित्व लेना है।  <u>सदस्य (उपभोक्ता)</u> <u>वि० उ० गि० नि० न० हल्द्वानी</u>	

सदस्य (उपभोक्ता)
वि० उ० गि० नि० न० हल्द्वानी

सदस्य (उपभोक्ता)
वि० उ० गि० नि० न० हल्द्वानी

सदस्य (उपभोक्ता)
वि० उ० गि० नि० न० हल्द्वानी

**OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL
FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI**

Case No.- 69 /2025-26

Shri/Smt. ललित मोहन दिवाला Vs Exeutive Engineer. 21/1/25

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
<i>Lawrence d.../p</i>	14/05/2025	आज यह परिवाद विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच हल्द्वानी द्वारा आयोजित शिविर <u>दिनांक</u> में प्राप्त हुआ है। विपक्षी/विभाग, शिकातकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में दिनांक <u>26/05/2025</u> तक अपना उत्तर पत्र मध्य कब्जूमर विद्युत हिस्ट्री मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। <u>डा. अशोक</u>	26/05/25
<i>26.05.2025</i>	26.05.2025	<u>पतावली प्रस्तुत। विपक्षी द्वारा उत्तर पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें विपक्षी द्वारा मै.टी.एम.सी. कम्पनी को उपभोक्ताओं के विल विक्षण का कार्य समय पर करने हेतु निर्देशित किया गया है।</u> <u>अतः परिवादी की शिकायत की निस्तारण कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है।</u> <u>पतावली हासिल उत्तर दी</u>	

सदस्य (उपभोक्ता)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (उपभोक्ता)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (उपभोक्ता)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

**OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL
FOURM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI**

Case No.- 71 /2025-26

Shri/Smt. ललित मोहन दिग्वाल Vs Exeutive Engineer.....राधनारायण

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
<i>lalit Mohan</i>	14/05/2025	आज यह परिवार विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, हल्द्वानी द्वारा आयोजित शिविर <u>दिहली</u> में प्राप्त हुआ है। विपक्षी/विभाग, शिकातकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में दिनांक <u>26</u> / <u>05</u> / 2025 तक अपना उत्तर पत्र मय कन्स्यूमर विलिंग हिस्ट्री मंच के समक्ष प्रस्तुत करें। <u>आदेश</u> 28.05.2025 परावली प्रस्तुत। विपक्षी द्वारा 26.5.25 को उत्तर पत्र प्रस्तुत किया गया। उपभोक्ता को खराब माफ़ बहल दिया गया है। शिकायत को समाधान हो चुका है, उतः वाद निलीकरि किया जाता है, पक्षकार सूचित हों। परावली गारिह देफतरे	26/05/25

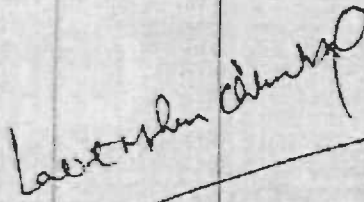
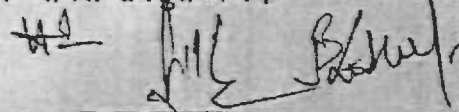
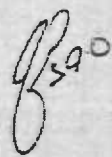
सदस्य (उपभोक्ता) ललित मोहन दिग्वाल सदस्य (प्रतिकर्ता) राधनारायण
वि०उ०नि०म० हल्द्वानी वि०उ०नि०म० हल्द्वानी (न्यायिक)
वि०उ०नि०म० हल्द्वानी

**OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL
FOURTH
KUMAOUN ZONE, HALDWANI**

Case No.- 69 /2025-26

Shri/Smt. ललित मोहन दिवाला Vs Executive Engineer. 21/7-11/2

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next date
	14/05/2025	आज यह परिवार विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच हल्द्वानी द्वारा आयोजित शिविर <u>हल्द्वानी</u> में प्राप्त हुआ है। विपक्षी/विभाग, शिकातकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में दिनांक <u>26/05/2025</u> तक अपना उत्तर पत्र मंच कम्प्यूटर विविध हिस्ट्री मंच के समक्ष प्रस्तुत करें।  <u>इमादेश</u>	26/05/25
	26.05.2025	पदावली प्रस्तुत। विपक्षी द्वारा उत्तर पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें विपक्षी द्वारा मै. टी. एम. सी. कम्पनी को उपभोक्ताओं के विलंभीत कार्य समय पर करने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः परिवादी की शिकायत की निस्तारण कर दिमै जानै के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। <u>पदावली हासिल अन्तरदी</u> 	

सदस्य (उपभोक्ता)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (कर्मचारी)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

सदस्य (न्यायिक)
वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी

